/////////of Regional Planning

प्रश्न:- प्रादेशिक नियोजन का सिद्धान्त एवं उनके नीति दर्शन की व्याख्या करें?

उत्तर:- प्रादेशिक नियोजन एक विशिष्ट की नियोजन संरचना पर आधारित है एक विशेष प्रकार का नियोजन है जिसमें सार्वजनिक कार्य-कलापों का सहारा लेकर सामाजिक कल्याण प्राप्त करने का उद्देश्य निहित होता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रादेशिक नियोजन की सोच मौलिक रूप से स्पेस के संदर्भ में समाज से जुड़ी है। प्रादेशिक नियोजन के हित सर्वप्रथम स्थानिक संरचना के साथ जुड़े है। अर्थात समाज स्पेस में किसी प्रकार से वितरित है। दूसरे, प्रादेशिक नियोजन के हित इस बात में भी जुड़े है कि समाज स्पेस के साथ किसी प्रकार सह-संबंध स्थापित करता है।

प्रादेशिक नियोजन की इस प्रकार की संकल्पना में समाज के हित में किये जा रहे स्थानियक पुनर्गठन में नियोजन की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। इसके लिए नियोजन को मानव स्वभाव का ज्ञान, मानव की वातावरण के प्रति प्रतिक्रियाओं का ज्ञान, मानव की अनेक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक-सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनैतिक शक्तियों आदि का ज्ञान होना आवश्यक है ताकि यह इन शक्तियों की महत्वपूर्ण भूमिका का उच्च कोटि के मानव कल्याण तथा समरस समाज के स्थापन हेतु सदुपयोग कर सके। समाज एक सतत अग्रसर होने वाला, सदैव गतिशील रहने वाला तथा सदा विकासोन्मुख जैवीय तत्व है।

प्रादेशिक नियोजन मात्र एक भौतिक नियोजन प्रक्रिया नहीं है अपितु यह सतत विकसित होते प्रादेशिक जैवीय तंत्र के आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं राजनीतिक पहलुओं की उपेक्षा भी नहीं कर सकता आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक प्रकार्यों का उचित स्थान पर स्थापन भी प्रादेशिक नियोजन के लिए अति महत्वपूर्ण है। ऐसा करने से जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त होती है वह यह है कि इससे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था स्वतः ही स्वउत्पादक एवं सतत विकासोन्मुख बन जाती है। सामाजिक दृष्टि से, शिक्षा संस्थानों, स्वास्थ्य चिकित्सा सेवाओं, डाकघरों, पुलिस थानों आदि जैसी सामाजिक सुविधाओं के अनुकूलतम स्थापन के अतिरिक्त एक सामाजिक समरसता वाले समाज का निर्माण भी प्रादेशिक नियोजन के प्रकार्यों में से एक है। मनोवैज्ञानिक स्तर पर समाज के किसी वर्ग में असुरक्षा की भावना भी सामाजिक समरसता की दृष्टि से उचित लक्षण नहीं है। मानव क्रिया के राजनीतिक पहलू की स्थानिक अभिव्यक्ति विभिन्न स्तरों जैसे राष्ट्र, प्रदेश, जिला, नगर, निकाय, गाम पंचायत आदि पर प्रजातांत्रिक तरीके से चुनावों के माध्यम से होती है।

जैसा कि हम सभी जानते है कि आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक सभी प्रकार की क्रियाओं में केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति पायी जाती है। एक प्रादेशिक नियोजन का यह कर्तव्य होता है कि वह इन सभी प्रवृत्तियों का समाधान करे। अतः प्रादेशिक नियोजन की वास्तविक चुनौती प्रदेश की सतत परिवर्तनशील सामाजिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसके सम्पूर्ण विकास का प्रबंध इस प्रकार किया जाये कि यह स्वयं एक जैवीक जंत्र की तरह प्रगति करता जाये। अतः एक जैवीय तंत्र की तरह प्रगति करता जाये। अतः प्रादेशिक नियोजन स्थानिक एकता के संदर्भ में भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक नियोजन का एक अनूठा संश्लेषण है।

प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना किसी प्रदेश के व्यापक विकास हेतु प्रादेशिक स्पेस के तर्कसंगत रूपान्तरण की भू-तकनीकी के रूप में की जाती है। इसका उद्देश्य स्थानिक पुनर्गठन होता है ताकि क्षेत्र में अधिक से अधिक प्रादेशिक समन्वय बनाया जा सके। ऐसा करते समय प्रदेश के जनसाधारण की भावनाओं, आकांक्षाओं व उद्देश्यों आदि का ध्यान रखा जाता है। अर्थात इस प्रकार के

Scanned with CamScanner

नियोजन का मुख्य उद्देश्य सभी प्रदेशों में निवास्थता की गुणवत्ता को उच्चतम बनाना होता है

भू-तकनीकों का अर्थ यहाँ भू-मण्डल के स्वरूप के निरूपण हेतु प्रयोग किये गये वैज्ञानि तरीकों से है। ऐसे निरूपण का लक्ष्य मानव व पर्यावरण में परस्पर संबंधों को और अधिक सुदृढ बना ना है। एक प्रकार से यह एक ऐसा प्रयास है जिससे सारे वातावरण को इस प्रकार से पुनर्निर्मित कि- या जाता है जिससे जीवन गुणवत्ता में सुधार लया जा सके।

निवास्यता का अर्थ प्रदेश में रहने वाले सभी निवासियों के लिए आदर्श जीवन गुण- वत्ता उपलब्ध कराना है। अतः निवास्यता प्रत्येक प्रदेश में मानवीय एवं वातारणीय तत्वों के पर- स्पर संबंधों को व्यवस्थित बनाकर आदर्श निवासीय अवस्था की स्थापना करना होता है।

एक भूगोलविद की दृष्टि में व्यापक विकास की संकल्पना किसी प्रादेशिक तंत्र के प्र- योजन के उन गुणात्मक पहलुओं से होता है जिनको झलक किसी प्रदेश के आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, राजनीतिक परिपक्वता एवं पर्यावरण संरक्षण आदि में पायी जाती है।

प्रादेशिक नियोजन की संकल्पना में प्रयुक्त प्रादेशिक स्पेश शब्द का तात्पर्य प्रादेशिक एकक से होता है जिसे नियोजन हेतु आधार एकक माना जा सके। एक नियोजन प्रदेश ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें स्वयं में कुछ न कुछ ऐसा विशेष हो जो कि इसे एक प्रादेशिक तंत्र का अंग होते हुए भी बाकी प्रदेशों से भिन्न बनाता हो इसके ऐसे विशेष लक्षण इसको भौतिकी, सामाजिक, व आर्थिक स्थिति में से किसी से भी संबंधित हो सकती है।

अंततः प्रादेशिक नियोजन के संदर्भ में प्रादेशिक एकीकरण का अर्थ होता है कि चाहे प्रत्येक प्रदेश अपने विशिष्ट लक्षणों के कारण अन्य सभी प्रदेशों से भिन्न होता है परंतु फिर भी वि- भिन्न प्रदेशों में परस्पर ऐसा समन्वय बना रहता है कि इन्हें एक दूसरे से पृथक नहीं किया जा सक- ता। प्रादेशिक नियोजन इस सच्चाई को भली-भाँति जानता है तभी तो प्रादेशिक एकीकरण प्रादेशिक नियोजन का एक अभिन्न अंग बन जाता है।

सारांश में, प्रादेशिक नियोजन प्रादेशिक स्पेस को पुनर्गठित करने की एक वह भू-तकनी- की है जिसके माध्यम से प्रादेशिक स्पेश का व्यापक विकास प्रदेश में रहने वाले सभी नगरीकों सभी वर्गों के लोगों को रहन-सहन को आदर्श अवस्थायें प्रदान कराने के लिए किया जाता है। किसी एक प्रदेश विशेष का ऐसा व्यापक विकास अलगाव में नहीं अपितु अन्य प्रदेशों के समन्वय में ही किया जाता है।

सिद्धान्त :-प्रादेशिक नियोजन का विषय अपनी कार्य-विधी एवं कार्यान्वियन दोनों में ही कुछ प्रमुख सिद्धान्तों द्वारा निर्देशित होता है। मानव अधिवास के क्षेत्रों में निवास्यता तभी प्रा- प्त की जा सकती है जबकि प्रादेशिक नियोजन निम्नलिखित सात प्रमुख सिद्धान्तों का पालन करे-

1. स्थानिक परिघटनाओं में उर्ध्वाधर एकता का सिद्धान्त।
2. क्षैतिज स्थानिक एकता का सिद्धान्त।
3. स्थानीक व सामयिक एकत्व का सिद्धान्त।
4. व्यापक विकास का सिद्धान्त।
5. सामुदायिक विकास का सिद्धान्त।
6. सामाजिक वांछनीयता एवं आर्थिक व्यवहारवाद के मध्य सन्तुलन बनाये रखने का सिद्धान्त।
7. पारिस्थितिक सन्तुलन बनाये रखने का सिद्धान्त।

प्रादेशिक नियोजन का पहला सिद्धान्त होता है कि यह परिघटनाओं में उर्ध्वाधर एकता की स्थिति में विश्वास रखता है। अर्थात प्रादेशिक नियोजन यह मानकर चलता है कि किसी भी स्थानिक क्षेत्र में जितनी भी परिघटनायें होती है उन सभी में परस्पर एकता होती है। अतः किसी भी क्षेत्र में किसी भी एक परिघटना को अन्य परिघटनाओं से पृथक नहीं किया जा सकता है उसका पृथक अस्तित्व नहीं होता। अर्थात यदि हम क्षेत्र में किसी तथ्य में विकास द्वारा परिवर्तन लाना चाहते है तो हमें क्षेत्र के सभी तथ्यों के संदर्भ में ही तथ्य विकास के लिए परियोजना तैयार

Scanned with CamScanner

करनी होगी।

क्षैतिजीय स्थानिक एकता के सिद्धान्त से तात्पर्य होता है कि प्रादेशिक नियोजन यह मानकर चलता है कि प्रत्येक क्षेत्र एक प्रादेशिक तंत्र का एकीकृत अभिन्न अंग होता है। यहाँ हर प्रदेश वृहत प्रादेशिक तंत्र का एक उप-तन्त्र होता है।

प्रत्येक प्रदेश अपने आप में सम्पूर्ण तंत्र होता है परन्तु फिर भी यह सम्पूर्ण प्रादेशिक तंत्र का भी एकीकृत अभिन्न अंग होता है। किसी प्रदेश विशेष में इसी समस्त प्रादेशिक तंत्र के संदर्भ के बिना परियोजना क्रियान्वित नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी भी एक प्रदेश में घटित घटना का प्रभाव समस्त प्रादेशिक तंत्र पर पड़ेगा। इस प्रकार प्रादेशिक नियोजन का दूसरा सिद्धांत क्षैतिजीय स्थानिक एकता से संबंधित होता है इसका साधारण शब्दों में यह अर्थ होता है कि किसी भी राष्ट्र में किसी एक प्रदेश विशेष की परियोजना अन्य प्रदेशों के संदर्भ के बिना न तो संकल्पित की जा सकती है और न ही लागू की जानी चाहिए। इसी प्रकार एक राष्ट्र का नियोजन भी विश्व के सभी राष्ट्रों या अन्तर्राष्ट्रीय स्पेस के संदर्भ में ही किया जाना चाहिये इस तरह प्रादेशिक नियोजन को विश्व के संदर्भ में एक सार्वत्रिक नियोजन का स्थान प्राप्त है इसी में ही एक मौलिक सच्चाई छिपी हुई है और वह यह है कि जब विभिन्न अंग है तो किसी प्रदेश विशेष का नियोजित विकास सम्पूर्ण प्रादेशिक तंत्र के संदर्भ के बिना कैसे किया जा सकता है।

स्थानिक व सामयिक एकत्व के सिद्धान्त से यह अभिप्राय होता है है कि स्थानिक वास्तविकता त्रिभुजीय न होकर चतुर्भुजीय होती है जिसमें तीन भुजायें स्पेस की व एक भुजा की समय की और ये चारों भुजायें आपस में इस प्रकार से संलिप्त होती है कि इनमें से किसी को भी एक दूसरे के संदर्भ के बिना तोचा ही नहीं जा सकता। समय को स्थान का अभिन्न अंग माना गया है। एक प्रदेश स्वयं में गतिशील होता है। इस प्रदेश में भूतकाल, वर्तमान व भविष्य तीनों की झलक एक साथ पायी जाती है। कोई भी प्रदेश अपने भूतकाल से सीख लेकर अपने वर्तमान को संवारता रहता है और साथ में अपने भविष्य हेतु भी अपनी उर्जा का संरक्षण करता रहता है। अतः एक प्रादेशिक नियोजन को यह मानकर चलना चाहिये कि उसे न केवल स्थानिक नियोजन करना है अपितु सामयिक दृष्टि से भी एक प्रदेश के विकास को ध्यान में रखना चाहिए। परियोजनाओं का समय-समय पर मूल्यांकन करते रहना चाहिए और जब भी आवश्यकता हो इनमें आवश्यक परिवर्तन करते रहना चाहिए।

व्यापक विकास के सिद्धान्त से यह अभिप्राय होता है कि प्रादेशिक नियोजन एक प्रदेश विशेष के व्यापक बहुमुखी विकास में विश्वास रखता है न कि प्रदेश को किसी एक विशेष प्रक्रिया के विकास में प्रादेशिक नियोजन में प्रदेश विशेष का पूर्ण रूपेण व्यापक विकास का लक्ष्य होता है। इसमें प्रत्येक सैक्टर व जनसंख्या के प्रत्येक वर्ग का पूरा-पूरा ध्यान रखा जाता है। व्यापक विकास के सिद्धान्त का अर्थ यह होता है कि एक प्रदेश विशेष अपने सभी संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करते प्रदेश की अर्थव्यवस्था का विकास करे तथा अपनी जनसंख्या के बहुमुखी विकास से एक ससंजित समाज स्थापना करके प्रदेश में उच्चकोटी की निवास्यता का सृजन करे।

प्रादेशिक नियोजन का अगला सिद्धान्त सामुदायिक विकास से संबंधित होता है। इस सिद्धान्त का मुल उदेश्य यह होता है कि प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास हेतु एक समान सुअवसर उपलब्ध कराये जायें। इस सिद्धान्त के अंतर्गत समाज को एक जैवीय सम्पूर्ण तंत्र माना जाता है। जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में एक तंत्र तो है ही परन्तु समाज रूपी सम्पूर्ण तंत्र का भी एक अभिन्न अंग होता है। यहाँ सभी को विकास हेतु एक समान सुअवसर उपलब्ध करा कर एक ऐसे सुसंगठित समाज की स्थापना करने का संकल्प होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को समाज से पृथेक न मानकर अपने आप को समाज के साथ जुड़ा हुआ मानकर चलता है।

सामाजिक बाध्यनियता एवं आर्थिक व्यवहारवाद के बीच संतुलन के सिद्धान्त से अभिप्राय यह है कि जब एक नियोजन किसी प्रदेश विशेष के व्यापक विकास हेतु परियोजनायें तैयार

सामाजिक स्वीकार्यता व आर्थिक व्यावहारिकता में एक संतुलन बनाये रखना प
करता है तो उसे सामाजिक स्वीकार्यता व आर्थिक व्यावहारिकता में एक संतुलन बनाये रखना प
है। एक प्रादेशिक परियोजना के मात्र भावना शुद्ध होना ही पर्याप्त नहीं परंतु उसे आर्थिक रूप से
भी समृद्ध होना आवश्यक है। एक नियोजक को प्रदेश को परियोजना तैयार करते समय प्रदेश की अर्थ-
व्यवस्था तथा सामाजिक स्थिति दोनो का ही ध्यान रखने की आवश्यकता होती है तभी वह
सही मायने में प्रदेश में निवास्यता के सृजन में सफल सिद्ध हो सकता है।

प्रादेशिक नियोजन का एक और सिद्धान्त होता है पारिस्थितिक संतुलन बनाये रखना
अर्थात प्रादेशिक नियोजन को प्रदेश का विकास इस प्रकार से करना चाहिए कि प्रदेश का पारिस्थि-
तिक संतुलना बना रहे। मतलब यह कि मानव को प्रकृति के साथ शांति से अथवा अनुरूपता से रहने
का प्रयास करना चाहिए।

संक्षेप में, प्रादेशिक नियोजन प्रक्रिया अपनी संकल्पना व व्यावहारिकता में तभी
सफल हो सकती है जब यह अपने सिद्धान्तों का पालन करे यदि प्रादेशिक नियोजन में उपर वर्णित
सभी सिद्धान्तों का पालन किया जाये तो प्रादेशिक निवास्यता बढाने में कोई कठिनाई नहीं आएगी

===============